


08.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाद-पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नही आए। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

